

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग,

अधिसूचना


पत्रांक-21/बी0 पी0 एस0 सी0-09/2011-12520/ पटना-15, दिनांक-17.11.11

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तों) विनियमावली, 1960 के विनियम 4 (क) के बाद निम्नलिखित एक नया विनियम 4 (ख) तुरत के प्रभाव से जोड़ते हैं:-

" 4 (ख) विश्वविद्यालय सेवा से आयोग में आये सदस्यों के मामले में, विश्वविद्यालय नियम के अनुसार, वाह्य सेवाकाल के लिए उनका पेंशन एवं अवकाश अंशदान विश्वविद्यालय में भेजना आवश्यक है अन्यथा पेंशन के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय में उनकी सेवा की अवधि कम मानी जायेगी।

यह प्रावधान सदस्यों द्वारा आयोग में बितायी गयी पूर्ण सेवा अवधि के लिए अनुमान्य होगा "।
अधिसूचना संख्या 9653 दिनांक 03.09.08 की कड़िका (2) एतद द्वारा प्रतिस्थापित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-21/ बी0 पी0 एस0 सी0-09/2011-12520/ पटना-15, दिनांक 17.11.11


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-21/ बी0 पी0 एस0 सी0-09/2011-12520/ पटना-15, दिनांक 17.11.11

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग,

अधिसूचना

सं-21/बी० पी० एस० सी०-09/2011...12521/ अधिसूचना सं-12520 दिनांक-17-11-11
का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के
संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा के उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा
जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

Govt. of Bihar
General Administration Department

Notification


No. 21/B.P.S.C.-09/2011...12520.....In exercise of powers conferred by
Article 318 of the Constitution of India The Governor of Bihar is pleased to add a new
regulation 4 B after regulation 4A of Bihar public Service Commission (conditions of
service) Regulations, 1960 with immediate effect:-

" 4B. In the matter of members came from University Service in the commission,
according to the university rule, for the period of foreign service it essential to send their
pension and leave contribution to the University otherwise their service period will be
deemed to be short in the University for the pension purpose.

This provision will be admissible for the full service period served in the
Commission by the members".

Para (2) of notification No. 9653 dt. 03-09-08 is deemed to be hereby substituted .

By the order of the Governor of Bihar




(Navin chandra Jha)

Joint Secretary to Govt.

ज्ञापांक-21/ बी० पी० एस० सी०-09/2011...12520/ पटना-15, दिनांक 17-11-11

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-21/ बी० पी० एस० सी०-09/2011...12520/ पटना-15, दिनांक 17-11-11

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी
विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।